



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 9, 2009/पौष 19, 1930

No. 8]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 9, 2009/PAUSA 19, 1930

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 26 दिसम्बर, 2008

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम,
1999

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./आईएसी/6/48/2008.—
प्राधिकरण, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999
(41 का 1999) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण निम्नलिखित विनियम बनाता है,
अर्थात् :—

निम्नलिखित सदस्यों को बीमा सलाहकार समिति का सदस्य
दिनांक 26 दिसम्बर, 2008 से वर्तमान में फा.सं.बी.वि.वि.प्रा./
आईएसी/1/2005 दिनांक 6 जून, 2005 के अंतर्गत नियुक्त 22 सदस्यों
के अतिरिक्त नियुक्त किया जाता है।

1. महासचिव, नेशनल फेडरेशन आफ इंशुरेंस, त्रिवेन्द्रम;
2. अध्यक्ष, भारतीय बीमा सर्वेक्षण तथा हानि निर्धारक संस्थान,
मुंबई;
3. निदेशक, सा-धन, नई दिल्ली।

जे. हरि नारायण, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/161/2008-असा.]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT
AUTHORITY

NOTIFICATION

Hyderabad, the 26th December, 2008

Insurance Regulatory and Development Authority Act,
1999

F.No. IRDA/IAC/6/48/2008.—In exercise of the
powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the
Insurance Regulatory and Development Authority Act,
1999 (41 of 1999), the Authority hereby makes the following
notification.

The following members are appointed as Members
of the Insurance Advisory Committee with effect from
26th December, 2008 in addition to the 22 members as
appointed *vide* Notification F.No. IRDA/IAC/1/2005 dated
6th June, 2005 :—

1. Secretary General, National Federation of
Insurance, Trivandrum;
2. President, Indian Institute of Insurance Surveyors
and Loss Assessors, Mumbai ;
3. Director, Sa-Dhan, New Delhi .

J. HARI NARAYAN, Chairman

[ADVT III/4/161/2008-Exty.]